HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3231/2023

National Highway Authority Of India

----Appellant

Versus

Smt. Bhuli W/o Ramswaroop

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Abhinav Jain, Adv. Mr. Bhrigu Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Umesh Choudhary, Add. Govt. Counsel For Mr. U.D. Gathala, Adv. Mr. Arvind Gupta, Adv. Mr. Lalit Kishor Joshi, Adv.

~~Counsel~~

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

14/08/2025

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

खसरा नंबर 368/1039 गैर–मुमकिन आबादी, जिसको कथित रूप से राजकीय संपत्ति बताया गया है, की अवाप्ति के मुआवजे के संबंध में विवाद है। अपीलार्थी के अनसार यह भूमि राजकीय भूमि थी, जबकि प्रत्यर्थी का निवेदन है कि गैर–मुमकिन आबादी भूमि संबंधित ग्राम पंचायत को सैट–अपार्ट की जा चुकी थी और प्रत्यर्थी के पूर्वाधिकारी के पक्ष में आवासीय पट्टा जारी किया जा चुका था।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को सैट–अपार्ट/अंतरित की गई है, इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश तथा ग्राम पंचायत की कार्यवाही के दस्तावेज आगामी पेशी तक प्रस्तुत करे।

22,39,920/– रुपये स्वीकृत रूप से निर्माण के संबंध में अपीलार्थी द्वारा निष्पादन न्यायालय में जमा करवाए जा चुके हैं और इस राशि के वितरण के संबंध में अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः 22,39,920/– रुपये की

जमाशुदा राशि निष्पादन न्यायालय अवार्ड के अधीन अधिकृत व्यक्ति को भुगतान करने हेतु स्वतंत्र है। शेष विवादित राशि के संबंध में निष्पादन कार्यवाही लंबित होना बताया है, दोनों पक्षों के हितों में संतुलन रखने आदि को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि शेष राशि अपीलार्थी आज से 60 दिन में निष्पादन न्यायालय में जमा करावें तथा ऐसी राशि जमा होने पर निष्पादन न्यायालय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 1 वर्ष की अवधि हेतु सावधि जमा करवाएंगे तथा समय–समय पर उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा, इस राशि का भुगतान न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं होगा।

अपील **छह सप्ताह** बाद सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /52